International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.9 Issue.3 Jan–Feb- 2022

भारतीय संविधान में उद्देशिका का महत्व

डॉ. सुनंदा गोखले
सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय राज्य स्तरीय स्नात. महाविद्यालय भोपाल म.प्र.

प्रस्तावना

अंग्रेजो की गुलामी से पृथक होने के लिये भारत के संविधान सेनानियों का बलिदान काम आया ओर ब्रिटिश शासन को यह विश्वास हो गया कि अब अधिक समय तक भारत में राज करना संभव नही होगा तत्कालिन प्रधानमंत्री चर्चील, स्टेफर्ड स्क्रिफ्स के नेतृत्व में एक दूत भारत भेजा जो क्रिप्स मिशन १९४२ के नाम से जाना जाता है। भारतीयों द्वारा क्रिप्स मिशन के सदस्यों से चर्चा की और जो मांगे दोहराई उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में इस बारे में विभिन्न सुधारो की घोषणा की जिसमें संविधान सभा का निर्माण और उसमें भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल है। पुन: केबिनेट मिशन १९४६ द्वारा यह घोषणा की गई की भारत का संविधान बनाने के लिये ससंविधान सभा का निर्वाचन तत्काल होना चाहिए तदानुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ । नव. १९४७ में इस प्रस्तावित संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ कुल मिलाकर २९६ सदस्यों में से २११ कांग्रेस के और ७३ सदस्य मुस्लिम लिग के श्शामिल किये गये। प्रमुख सदस्यों मे श्शामिल थे – पं. जवाहरलाल नेहरू. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आझाद, गोपालस्वामी अयंगर, गोविंद वल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, पी. वी कृपालाचारी, कृष्णा स्वामी अय्यर, हदयनाथ, सर एच. एस. गोड, प्रो. के टी शाह, आचार्य कृपलानी, डॉ. आंबेडकर, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. जयशंकर नियाकत अली खॉ, ख्वाजा नबीउद्दीन, सर फिरोज खान, सोहराब अली तथा डा॔. सच्चिदानंद सिन्हा ये सभी सदस्य स्वतंत्रता सग्राम सेनानी थे और विचारक प्रवृत्ति के भी थे । इस सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को निर्वाचित नही किया गया था। भारतीय संविधान बनाने के लिये पहली बैठक ९ दिसम्बर १९४६ को हुयी। डॉ. आम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माण का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सोंपी गयी। कुल मिलाकर संविधान सभा की ११ बैठके हुई और इसतरह २ वर्ष ११माह १८ दिन के पश्चात विचारमंथन एवं तर्क वितर्क के बाद २६ नवम्बर १९४९ को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। संविधान के उपबंध ५,६,७,८,९, ६०, ३२४, ३६६, ३६७, ३८०, ३८८, ३९१, ३९२, ३९३ एवं ३९४ उपबंध २६ नव. १९४९ को प्रर्वतित

हो गये। संविधान के श्शेष उपबंध २६ जनवरी १९५० को प्रवृत्त हुये जिसे संविधान के प्रर्वतन की तिथि कहा जाता है। भारत के संविधान के बारे में प्रो. जेनीग्स ने भी कहा है कि यह विश्व का सबसे बडा एवं विस्तृत संविधान है।

जब हम संविधान की उददेशिका के मूलभूत तत्वो की विवेचना करना चाहते है तब हमें संविधान की प्रकृति के बारे में सर्वमान्य मतों को स्पष्ट करना आवश्यक है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुये एकात्मक प्रकृति का भी है। प्रो. व्हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध-संघीय संविघान है अथवा एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि एक संघात्मक राल्य जिनमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं।[१]

इसी विचारधारा के समान जेनिग्स ने भी इस संविधान को एक ऐसा संघ कहा है जिसमे केंद्रियकरण की सशक्त प्रकृति हैं।[२]

प्रत्येक राष्ट्र अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कियाकलापों हेतु संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान में उद्देशिका पूरे संविधान की आत्मा हैं और उस सविधान में वर्णित अनुच्छेदों का एक तरह से सारांश प्रस्तावना में समाहित होता हैं। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में लिखित संविधान पाये जाते है जिनमें उद्देशिका एक आवश्यक अंग है। ब्रिटेन का संविधान रूढ़ियों एवं पंरपरा पर आधारित है और वहॉ पर लिखित संविधान नही है इसके बावजूद भी विधायिका द्वारा कितने भी कानून बनाये जाते है उनमें संविधानिक परम्पराओं का जिक करते हुये अलिखित संविधान में भी उद्देशिका के बारे चर्चा की जाती है और उसे कार्यप्रणाली का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। भारत का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा २ वर्ष ११ महिने १८ दिन में निर्मित किया गया जो कि २६ नवम्बर १९४९ को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसमें उद्देशिका द्वारा जनता की, जनता को, सार्वभौमिकता प्रदान की गई है। सरकार के विभिन्न अंग द्वारा जनसत्ता के तत्वों को उपेक्षित नही किया जाता है। भारत के संविधान की उद्देशिका के प्रारम्भिक शब्द है, ''हम भारत के लोग ...'' इस तरह भरत का संविधान उद्देशिका के माध्यम से जनता को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अमेरिका में भी लिखित संविधान है जो कि कठोर संविधान के रूप में स्विकार किया जाता है जबकि भारत के संविधान की प्रकृति लचिली है। अमेरिकन संविधान में भी उद्देशिका को प्रथम स्थान प्राप्त है, किन्तु वहॉ पर विधि के शासन के साथ न्यायिक सर्वोच्चता की परपंरा लगातार

---

[१] प्रो. व्हियर : इण्डियाज न्यू कान्स्टीट्यूशन एनालाइज्ड (१९५०) डी. एल. आर. २५

[२] जेनिंग्स : सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इण्डियन कान्स्टीट्यूशन, पृ. ५५

कायम हैं। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया है कि अमेरिका में विधि का शासन है जो संविधान द्वारा अनुशासित है ओर न्यायालय जो निर्धारित करता है वही विधि है अर्थात अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च सम्प्रभुता प्राप्त है। भारत में भी संविधान का निर्वचन करने और विधयिका को नियंत्रित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्ति प्रदान की गई है किन्तु न्यायपालिका भी जनता की इच्छा के विरूध्द कोई भी सार्वजनिक निर्णय लेने मे हिचकिचाता है और यदि उसने ऐसे प्रयास किया तो उसकी छबी धुमिल हो जाती । कुछ निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने पूर्वनिर्णयों की समिक्षा जनता की इच्छाओं के अनुकूल की है तथा जनोपयोगी विधियों को लागु करने में अपनी सक्रियता का परिचय दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता के उभरते हुये स्वरूप के बारे मे भी यह कहा जाता है कि जनोपयोगी आर्थीक, सामाजिक कार्यक्रमो को लागु करते हुये तथा उद्द्देशिका की भावना के अनुकूल कार्यपालिका एवं विधयिका को कार्यप्रणाली मे परिवर्तन करने हेतु आवश्यक निर्देश समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये जाते है जो कि न्यायिक पुनर्विक्षण पृथक होते है। इन्हे ही न्यायिक सक्रियता के रूप मे आलोचित किया जाता है किन्तु न्यायिक सक्रियता का उद्द्देश भारत के संविधान की उद्द्देशिका के प्रत्येक शब्द में प्रछन्न उद्श्यों को प्रकट करने के लिये अपनाया गया अस्त्र है। भारत के संविधान की उद्देशिका की विवेचना किये जाने पर निम्न विशेषताओं का निरूपण किया गया है- प्रस्तावना के प्रारम्भिकष्शब्द 'हम भारत के लोग' यह स्पष्ट करते है कि भारत में जनता का शासन है जैसा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली की परिभाषा करते हुये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिकंन ने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिये, जनता द्वारा शासन है। भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है जो कि संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न है और उसमे उद्द्देशिका में किये गये प्रारम्भिक शब्द अमेरिका राष्ट्रपति के उक्त उद्गारों का भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एवं व्यक्तियो पर तथा प्रशासन पर समान रूप से लागू होते है। प्रजातांत्रिक राष्ट्रो में स्विट्जरलैण्ड में जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन करने हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रचलित है जबकि अमेरिका एवं भारत जैसे देशो में अप्रत्यक्ष प्रणाली संचालित है। इसका तात्पर्य है कि चाहे स्विट्जरलैण्ड हो, अमेरिका हो या भारत हो निर्वाचन में उच्च पदों पर प्राधिकारियों को पदासीन करने हेतु जनता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसा कि अभी अभी और पूर्व में भी यह देखा गया है कि जिन राज्यों में सरकार जन आकाक्षाओं को पूरा करने में असफल रहती है वहॉ पर निर्वाचन रूपी अस्त्र से सत्ता बदलने का कार्य जनता द्वारा किया गया है और आगे भी यह परम्परा कायम रहेगी। भारत में निर्वाचन प्रणाली द्वारा शासको को पदच्युत करने तथा सरकारो का गठन करने में जनता की अहम भूमिका होती है और यह एक बहोत बडे प्रमाण के रूप मे है कि उद्द्शिका के प्रारम्भिक शब्द, 'हम भारत के लोग' प्रशासनिक गतिविधियो एवं विधि निर्माण में अपनी सम्प्रभूता कायम रखे हुये है।

सामाजिक न्याय – संविधान की उदद्शिका में इस शब्दावली का समावेश हमारे गणतंत्र को सफल बनाने के लिये किया गया है। प्रस्तावना के साथ साथ नीतिनिर्देशक तत्वों में भी इस शब्दावली को नियोजित किया गया है। दूसरे शब्दों में हमारी संविधान की उदद्शिका कहती है कि भारत में सामाजिक न्याय के आधार पर कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। उददे्शिका में सामाजिक न्याय संविधान के एक विशेषाधिकार के रूप में स्थापित किया गया है।

भारत के संविधान में जो उददे्शिका समाहित की गई है, उसके बारे में संविधान निर्मात्री सभा में १८ सितम्बर १९४९ को चर्चा हुई। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य श्री एच. व्ही. कामथ ने सभा की शुरूवात की थी। इसके पूर्व १५ नवम्बर १९४८ को भारत के संविधान के प्रकृति के बाारे में संविधान निर्मात्री सभा में चर्चा हुयी। चर्चा की श्शुरूवात करते हुये प्रो. के. टी. श्शाह ने संविधान की उदद्शिका में श्शामिल किसी भी अधिनियम चाहे वह संविधि से सम्बधित हो या संविधान से सम्बधित सभी में प्रारम्भ में उददे्शिका रहती है। उददे्शिका के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सुब्बाराव ने एक मामले मे कहा कि उददे्शिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शो एवं आकांक्षाओ का उल्लेख करती है।[३]

भारत के संविधान की उददे्शिका में ४२ वे संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी एवं अखण्डता शब्द जोडे गये है। जिनका उल्लेख संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नही किया गया था। बहस के दौरान प्रारूप में शामिल धर्मनिरपेक्ष राज्य पर चर्चा होने पर सर्वसम्मति से धर्मनिरपेक्ष श्शब्दावली को उदद्शिका से निकाल किया गया था किन्तु ४२ वे संशोधन के द्वारा इस शब्दावली का जगह पंथनिरपेक्ष शब्द जोड दिया गया। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई राजधर्म नही होगा किन्तु सभी धर्मो के साथ राज्य समान व्यवहार करेगा और सभी व्यक्तियों को विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता रहेगी। एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि पंथनिरपे़क्षता का सकारात्मक अर्थ है जिसके अनुसार सभी धर्मो का ज्ञान होना ओर उनके प्रति आदर तथा आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना है।[४] पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की उददे्शिका के अलावा २५ से ३० एवं भाग ४ (क) जोडा गया है।

---

[३] गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए. आई. आर. १९६७ एस. सी. १६४३

[४] Arun Rai v. Union of India A. I.2002 S.C. 3176 overview of Justice Dharmadhikari.

संविधान की उददे्शिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को वृहत्तर स्वरूप प्रदान करने हेतु समाजवाद शब्दावली भी प्रयुक्त की गयी है जिससे आर्थिक न्याय को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके। उददे्शिका में लोकतांत्रिक राज्य के साथ समाजवाद शब्द को प्रयुक्त किये जाने के बारे में एक संविधान विशेषज्ञ द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र और समाजवाद के इस अनोखे सांमजस्य के प्रयास की परिकल्पना इस दिशा में एक नविन कदम है।[५]

एक मामले मे उच्चतम न्यायालय ने उददे्शिका जोडे गये समाजवाद शब्द के प्रभाव पर अभिमत दिया है कि समाजवाद शब्द का प्रभाव यह है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण ओर राज्य स्वामित्व को अधिक प्रभाव देना चाहिये किन्तु नीजि स्वामित्व वाले वर्ग के हितों की अपेक्षा नही की जा सकती।[६]

एक अन्य प्रकरण में समाजवाद शब्द जोडे जाने पर उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग एवं कर्मकार के जीवनस्तर को उच्च उठाना है। यह गांधीवाद एवं मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है जो निश्चित तौर रूप से गांधीवाद की और झूका हुआ है।[७]

अखण्डता शब्द का समावेश पृथकतावादी प्रवृत्ती को रोकने के लिये किया गया है और यह उपधारणा अनुच्छेद १ में प्रयुक्त भारत राज्यों का एक संघ होगा द्वारा संविधान की संघात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है। संविधान की संघात्मक प्रकृति के बारे में १३ नवम्बरर १९४८ को असेम्बली डिबेट के दरम्यान के. टी. शाह द्वारा भारत के लिये संघीय शब्द का प्रयोग किया गया था। उनके अनुसार 'संघीय' शब्द का अर्थ संघ का हिस्सा बनने वाले राज्यों की समान शर्तो पर एक सहमत संघ है। भारत में संघ का हिस्सा बनने वाले राज्य होने चाहिए। प्रो. शाह ने ही प्रस्तावना मे समाजवादी शब्द जोडने का प्रंस्ताव रख था जिसे प्रारूप समिति के अघ्यक्ष डा. आम्बेडकर द्वारा अस्विकार किया गया किन्तु किन्तु ४२ वें संशोधन द्वारा इसे संविधान की प्रस्तावना में स्थापित किया गयज्ञं संविधान निर्माण समिति की मसौदा समिति ने संपूर्ण लोकतांत्रिक, गणराज्य वाक्यांश को अपनाया था प्रारूप में

---

[५] वी. एस. देशपाण्डे : राइट्स एण्ड ड्यूटीज अण्डर द इण्डियन कान्स्टीट्यूशन १५ ज. आई. एल. आई. १९७३. पृ. ९४

[6] इक्सेल वियर बनाम भारत संघ ए. आई. आर. १९७९ एस. सी. २५

[७] D. S. Nakara v. Union of India A. I. R. 1983 S. C. 130

स्वत़ंत्रता शब्द प्रयुक्त था जिसे निकाल दिया गया और यह बताया गया कि सम्प्रभु श्शब्द में स्वतंत्रता शब्द निहित है। विचारोपरांत भारत को संप्रभु गणराज्य के रूप में स्वीकार करने बाबत एवं उददे्शिका में उल्लेख करने बाबत सहमति हुई।

भारत के संविधान का निर्वचन करते समय इन-रि-बेरूबारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि उददृेशिका को संविधान का आवश्यक अंग नही कहा जा सकता किन्तु केशवानंद भारती मामले में उक्त निर्णय को बदल दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उददे्शिका संविधान का एक भाग है। मुख्य न्यायमूर्ति श्री सिकरी ने कहा कि हमारे संविधान की उददे्शिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को उनमें निहित उदात्त आदर्शो के अनुरूप निर्वचन किया जाना चाहिये। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती किन्तु वह संविधान के आधारभूत ढॉचे के नष्ट नही कर सकती।

भारत में संविधान की उददे्शिका को आधारभूत ढॉचे के अतंर्गत रखा गया है। उददे्शिका में गणतंत्र शब्द का यह स्पष्ट अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परम्परा का अंत हो गया है और भारत का राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रू‍प में निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जैसा कि उददे्शिका में सन्निहित है।

भारत का संविधान भारत की जनता को निम्नानुसार अधिकार प्रदान करता है- समाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, मत, विश्वास की स्वतंत्रता, पद एवं अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरीमा एवं राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं बधुत्व की भावना स्थापित करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार घोषणापत्र के अनुच्छेद १ में वर्णित है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसे प्रतिष्ठा एवं अधिकार समान रूप से प्राप्त है। मनुष्य एक विवेकशिल प्राणी है और उसे प्राणी मात्र के प्रति बधुत्व की भावना बनायी रखनी चाहिये मानव अधिकार आयोग के घोषणापत्र में प्रयुक्त इन शब्दावली को भारत के संविधान की उददे्शिका में प्रतिष्ठित किया गया है।

उपाधियों का अंत (अनुच्छेद १८), अस्पृश्यता का निवारण (अनुच्छेद १७), और भारतीय समाज की अनेक कुरितियो को दूर करके बधुत्व की उदात्त भावना को मूर्तरूप प्रदान करने का प्रयास उददे्शिका के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।[८]

[8] बकिंघम एण्ड कर्नाटक कम्पनी लि. बनाम वेन्कटैया, ए. आई. आर. १९६४ एस. सी. १२७२

एक विद्वान लेखक ने सही कहा है कि प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है जब वह जन-जन के मन मे बधुत्व की भावना को जागृत करने में सफल हो सके।[९]

भारत के संविधान की उददशिका भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और संकेत करती है भले ही इस शब्दावली का प्रयोग इस शब्दावली में समाहित नही किया गया है किन्तु राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वो के प्रावधानो में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्वप्न जिसे महात्मा गांधी ने देखा था साकार हो गया है।

एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उददेशिका में 'वितरण न्याय' की धारणा निहित है। न्यायालय का मत हैकि विधि के क्षेत्र में इसका तात्पर्य आर्थिक असफलता को दूर करना ओर असमानां मे संव्यवहार के मामलो में असमानता को दूर करना है और कानून का प्रयोग वितरण योग्य साधन के रूप में समाज के सदस्यों मे धन का उचित बटवारा करने के लिये किया जाना चाहिये।[१०]

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत उददेशिका में भी संशोधन किये जाने कि याचिकाओ का निराकरण करते हुये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिश शेलट एवं ग्रेवर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया[११] कि संविधान मे उददेशिका को एक विशेष महत्व का स्थान प्रदान किया गया है। अत: उददशिका के बारे में संभव नही है क्योकि यह भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है और उन ऐतिहासिक तथ्यो का उल्लेख करती है जिन्हे भारत के लोगों ने अपनी भावी विधि को ढालने के लिये संकल्प किया था यह सोचा भी नही जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने इस बात की कल्पना की थी कि उददेशिका को ही निराकृत एवं विलुप्त करने की मांग की जायेगी इस तरह उददशिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान का आधारभूत ढॉचा माना।[१२]

---

[९] डी. डी. बसु : इन्टोडक्शन टु द कान्स्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया, तिसरा संस्करण १९६४ पृ. २३

[१०] सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, ए. आई. आर. १९८६ एस. सी. १५१७

[११] वी. एस. देशपाण्डे : राइट्स एण्ड ड्यूटीज अण्डर दि इण्डियन कान्स्टीट्यूशन १५ जे. आई. एल. आई. १९७३ पृ. ९४

[१२] पकइप

डॉ. जयनारायण पाण्डे ने उददे्शिका को निम्नलिखित उदद्श्यों की पूर्ति करने बाबत् मत व्यक्त किया है जो कि निम्नानुसार है-

१. संविधान का स्त्रोत क्या है, अर्थात भारत के लोग।
२. संविधान का उददे्श्य क्या है, अर्थात इसमें उन महान अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हे भारत के लोगो ने सभी नागरिको के लिये सुनिश्चित घोषणा की थी।
३. इसमें संविधान की तिथि का उल्लेख है।[१३]

संविघान की उददे्शिका में परिकल्पित लोकहितकारी राज्य तथा समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श संविधान में निहित राज्य के नीतिनिर्देशक तत्वो द्वारा स्पष्ट होता है।

संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करता है। उन्होने नीतिनिर्देशक तत्वों में आथिर्क लोकतंत्र की परिकल्पना की थी ओर उन्होने कहा था कि इस संविधान की रचना के बारे में हमारे वस्तुतः दो उददे्श्य है-

१. राजनैतिक लोकतंत्र का रूप निर्धारित करना
२. यह स्थापित करना कि हमारा आदर्श आर्थि लोकतंत्र है ओर इसका भी विधान करना कि प्रत्येक सरकार जो कोई भी सत्ता मे हो आर्थिक लोकतंत्र लाने का प्रयास करेगी।[१४]

संविधान की उददे्शिका मे आर्थिक ओर सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का जो निर्देश अंतर्निहित है वह नीतिनिर्देशक तत्वो के अनुच्छेद ३८(१) द्वारा स्पष्ट हो जाता है तथा अनुच्छेद ३९ मे आर्थिक न्याय प्राप्त करने के उददे्श्यो के बारे मे अपनी नीति संचालित करने के बारे मे अनुच्छेद ३९ मे विशेष निर्देश जारी किये गये है।[१५] इसीतरह एक अन्य प्रकरण मे उच्चतम

[१३] जय नारायण पाण्डे, भारत का संविधान ५० वॉ संस्करण २०१७ सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद पृ. ३६

[14] Constituent Assembly Debates, 7, p. 494-495

[१५] कर्नाटक राज्य बनााम रघुनााथ रेड्डी, ए. आई. आर. १९७८ एस. सी. २१५

न्यायालयमे संवैधानिक सिध्दातों के अनुसार समता एवं विशाल लोककल्याण के बारे मे राज्य श्शासन को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये है।[१६]

संविधान में 'वितरण न्याय' की धारण का विश्लषण करते हुये एक प्रकरण मे कहा गया है कि अनुच्छेद ३८ एवं ३९ मे विधिशास्त्र के वितरण न्याय का सिध्दांत निहित है। हमारा संविधान राज्य को न्याय के समान वितरण का निर्देश देता है। विधि बनाने की दृष्टि से वितरण न्याय की धारणा का अर्थ है नागरिको के बीच आर्थिक विषमताओ को दूर करना।[१७]

भारत की संविधान की उददे्शिका में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये भारत सरकार द्वारा ४२ वे संविधान संशोधन १९७६ के अनुच्छेद ३९ (क) मे समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। एक प्रकरण मे यह कहा गया है कि विधिक सहायता और तिव्रतर परिक्षण अनुच्छेद २१ के अधिन बन्दियो के मूल अधिकार माने जाते है ओर इन्हे प्रवर्तित करना न्यायालय का परम कर्तव्य है।[१८]

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७ मे यह निर्देश समाहित है कि निर्देशक तत्वो मे निहित तत्व देश के प्रशासन मे ंमूलभूत है ओर राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि बनाने मे इन तत्वों का प्रयोग करे। अनुच्छेद ३७ मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों मे अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय नही होगे फिर भी उनमें अभिकथित तत्व देश के शासन मे मूलभूत है ओर विधि बनाने के इन तत्वो को लागु करना राज्य का कर्तव्य होगा इसिलिये संविधान निर्मात्री सभा में बहस के दौरान डॉ. बी. आर. आम्बेडकर ने कहा था कि यह कहना गलत है कि नीतिनिर्देशक तत्वों मे कोई बल नही है। डॉ. आंबेडकर ने यह भी कहा था कि यदि कोई सरकार इनकी उपेक्षा करती है तो उन्हे निश्चित ही इसके लिये मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पडेगा क्योंकि नीतिनिर्देशक तत्वो का दस बात पर विशेष महत्व है कि वह आर्थिक प्रजातंत्र के हमारे आदर्श को स्थापित करते है।[१९]

---

[१६] सेण्टर फार पब्लिक इण्टरेस्ट लिटिगेशन बनााम भारत संघ ए. आई. आर. २०१२ एस. सी. ३७२५

[१७] Central England Water Transport Corporation v. Brajonath (1986) 3 S. C. C. 156

[18] M. H. Haaskat v. State of Maharastra A.I.R. 1978 S.C. 1548

[19] Constituent Assembly Debate 7 p. 494-495

संविधान में उददे्श्किा से संबधित बहस संविधान निर्मात्री सभा १७ अक्टुबर १९४९ हुई। बहस इस बात से शुरू हुई थी इस उददे्शिका को तिसरे वाचन के लिये नवम्बर मे रखा जाये। सदन के एक सदस्य मौलाना हसरत मोहानी ने देरी के प्रस्ताव पर आपत्ति जतायी जिस पर के. एम. मुंशी ने चुटकी ली 'जीवन मे एक बार मौलाना साहाब का समर्थन करता हूँ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी मौलाना साहाब का समर्थन किया। मौलाना मोहानी ने उददे्शिका में तीन संशोधन प्रस्तुत किये पहला, संशोधन था 'हम भारत के लोगों के साथ भारत को एक संम्प्रभु संधीय गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लेते है। यह वैकल्पिक रूप मे हम भारत के लोग भारत को एक संम्प्रभु स्वतंत्र गणराज्य के रूप मे गठित करने के लिये पूरी तरह से संकल्पित है।

मौलाना मोहनी ने रिपब्लिक शब्द पर भी आपत्ति जतायी ओर कहा कि स्वतंत्र शब्द के बिना भारत रिपब्लिकन डोमिनियम बन सकता है। मोलाना के इस प्रथम प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया गया। मौलाना साहाब ने एक दूसरा संशोधन पेश करते हुये कहा कि उद्देशिका की शुरूवात इस तरह हो ''हम भारत के लोग यु. एस. एस. आर. की तर्ज पर यु. आई. एस. आर. कहे जाने वाले भारतीय समाजवादी गणराज्यों के संघ में भारत के गठन करने के लिये पूरी तरह से संकल्प लेते है। देशबन्धू गुप्ता ने इस संशोधन का विरोध किया और कार्यवाही के पिठासीन अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी इसका विरोध किया। इसके पश्चात सदस्य एच. वी. कामथ ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया ओर कहा कि उदद्शिका में ईश्वर श्शब्द भी जोडा जाये। इस पर आपत्ति करते हुये एक सदस्य पूर्णिमा बॅनर्जी ने कहा कि हमे ईश्वर को वोट देने की शर्मिदगी में ना डाले। श्री कामथ का संशोधन इस प्रकार था ''ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिये ओर उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। अवसर की समानता और उनके बीच सभी भाईचारे को बढावा देने के लिये हमाारी संविधान सभा में व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने के लिये एतद् द्वारा इस संविधान को अपनाना. अधिनियमित करना और स्वंय को देना है।

देवी कामाख्या के उपासक एक सदस्य रोहणी प्रसाद चौधरी ने कहा कि 'ईश्वर' के बजाय 'देवी' का उल्लेख किया जाये। कामथ का समर्थन मद्रास के मुनैस्वामी द्वारा किया गया किन्तु एक अन्य सदस्य थिरूमाला राव ने कामथ को अपना संशोधन वापस लेने के लिये कहा। मत विभाजन मे कामथ के प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया गया तब कामथ ने टिप्पणी कि की यह भारत के इतिहास में एक काला दिवस है और ईश्वर भारत को बचाओ।

प्रो. शिब्बनलाल सक्सेना ने कामथ का समर्थन करते हुये कहा है कि उदद्शिका के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम जोडा जाये। उन्होने महात्मा गांधी का नाम भी उददे्शिका मे जोडे

जाने का संशोधन पेश किया जिसका आचार्य कृपलानी ने जोरदार विरोध किया और कहा कि गांधीजीके नाम का प्रयोग करने से बचना चाहिये। प. गोविंद मालविया ने भी परमेश्वर की कृपा से ब्रम्हांड के भगवान को उददे्शिका मे जोडने हेतु संशोधन पेश किया किन्तु भगवान के नाम पर जोडे जाने वाले सभी संशोधनो को अस्विकार कर दिया गया। एक सदस्य ब्रजेश्वर प्रसाद ने उददे्शिका मे धर्मनिरपेक्ष श्शब्द जोडने की अपील की उन्होने सहकारी कामनवेल्थ एवं सामाजिक आदेश शब्द जोडने की भी अपील की इसके साथ ही उन्होने यह कहा कि उद्देशिका में भारत के नागरिकों के विभिन्न अधिकारों जैसे उचित जिवनयापन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त विधिक सहायता, अनिवार्य सैन्य ट्रेनिंग जोडने हेतु भी जोर दिया जिसपर एक सदस्य पी. डी. देशमुख ने मजाक पूर्ण टिप्पणी की ''एक उॅट और मोटर साईकिल के बारे मे क्या कहना है?

विभिन्न सदस्यो द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को अस्विकार कर दिया गया और मूल प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया गया। इसके पश्चात संविधान निर्मात्री सभा ने उददे्शिका सहित संविधान से सम्बधित अन्य अनुच्छेद को स्वीकार किया जो कि संविधान के रूप में २६ नवम्बर १९४९ को संसद के पटल पर रखा गया। इसलिये प्रतिवर्ष २६ नवम्बर को संविधान दिवस मनाने की प्रथा भारत में निरंतर जारी है।

<u>सारांश</u> भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों मे सबसे अधिक पृष्ठो वाला ग्रंथ है, जिसे लेवियाथान कहा जाता है। इसे निर्माण करने में २ वर्ष ११ महिने एवं १८ दिन का समय व्यतीत हुआ है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कई बार सभा में विभिन्न पहलुओं पर बहस के दौरान पिठासिन रहे तथा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने अपनस योगदान दिया। प. जवाहरलाल नेहरू, के, एम. मुशी, एच, बी. कामथ, प्रो. सिब्बल सक्सेना जैसे अनेक विचारकों को संविधान निर्मात्री सभा मे सदस्य बनाया गया था और उन्होने अपनी बुद्धि एवं कौशल का प्रयोग करते हुये अनेक सुझाव दिये थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं पं. जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के कमश: प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रधानमत्री के रूप मे निर्वाचित हुये थे। संविधान निर्मात्री सभा में बहा में यह बिंदू उठाया गया था कि न्यायपालिका को अन्य अंगो की अपेक्षा अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया है। इसका जवाब देते हुये प. जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह एक वास्तविकता है किन्तु हम न्यायपालिका को विधि निर्माण में तिसरा सदन बनने की इजाजत नही देगें। षरत के संविधान में ३९५ अनुच्छेद २२ षगों में विभाजित है तथा १२ अनुसुचिया है।

भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान में ३९५ अनुच्छेदो के अलावा प्रारंभ में उददे्शिका दी गयी है जिसमें भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक,पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य कहा गया है। उददे्शिका संविधान की आत्मा है और इसके द्वारा भारतीय जनता

के सार्वभौमिकता एक राष्ट्रीय प्राधिकार के रूप में विद्यमान है। पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि संसद को अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत उदद्शिका में संशोधन करने का कोइ अधिकार प्राप्त नही हैं किन्तु १९७३ में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद ३६८ के अंतर्गत उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता हैकिन्तु उसके मुल ढाचे में कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक गणराज्य स्थापित करने के साथ साथ उद्देशिका में सरकार को यह निर्देश दिये गये है कि भारतीय संविधान के उपबंधो के तहत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक न्याय की प्राप्ति भारतीय संविधान का उद्देश्य है तथा विचार, अभिव्यक्ति एवं अन्य आवश्यक जिवनोपयोगी कियाकलापो की सुरक्षा एवं संरक्षा का दायित्व भी संविधान पर है। संविधान के भाग ३ में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं भाग ४ में स्थापित नीतिनर्देशक तत्वों को उद्देशिका के उंदकंम को जिवंत करने हेतु स्थापित किया गया है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदो के साथ-साथ उद्देशिका पर भी संविधान निर्मात्री सभा में बहस हुई और १७ नवम्बर १९४९ को उद्देशिका में बहस पूरी होने के पश्चात भारतीय संविधान के प्रारूप को २६ नवम्बर १९४९ को जनता को आत्मार्पित कर दिया गया। यह संविधान २० जन.१९५० से भारतीय गणतंत्र दिवस के साथ सम्पूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया है और इसके अंतर्गत जाति, धर्म, स्थान इत्यादि के विभेद को समाप्त कर एक भारतीय नागरिकता को स्विकार किया गया है और संविधान की उद्देशिका में बताये गये सूत्रो को कियान्वयन करने हेतू श्शासन के तिनों अगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कर्तव्यनिठ हो गये है। किसी भी दल की सरकार शासनारूढ होने पर उद्देशिका सहित संवैधानिक उपबन्धों का अनुपालन करने हेतु वचनबध्द होते है। संविधान में समाविष्ट सभी उपबन्धों को पूरा करने में श्शासन की सकारात्मक भूमिका दिखायी पड रही है।और उद्देशिका में समाहित अखण्डता के सिध्दान्त को सरकार एवं जनता द्वारा लागू करने में अपने कर्तव्यो को पूरा करने हेतु संकल्पित है। इसलिये ४२ वे संविधान संशोधन १९७६ द्वारा भाग ४ में एक नया भाग ४ क जोडा गया है जिसके द्वारा संविधान में नागरिको के मूल कर्तव्यो को समाविष्ट किया गया है संशोधित अनुच्छेद ५१ क बहोत ही महत्वपूर्ण है और अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे मे असमानता को दूर करने हेतु यह संशोधन किया गया है।